उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-95/2011-12

सनातन रक्षित

बनाम्

अनन्त रक्षित एवं अन्य

—: आदेश :—

दिनांक 24/11/17

अभिलेखबद्ध कागजातों को अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता सनातन रक्षित, पिता—स्व0 द्वारिका रक्षित, सा0—जमनी पहाड़पुर, वर्तमान पता—सरौनी, थाना—गोड्डा(मु0), जिला—गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के आर0ई0आर0 केश नं0—21/2009—10 आदेश दिनांक—27.12.2011 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने आर0ई0आर0 केश नं0—21/2009—10 के आदेश दिनांक—27.12.2011 के द्वारा अपीलकर्त्ता के आवेदन को खारिज किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा जमनी पहाड़पुर जमाबंदी नं0 163 दाग नं0 1382 रकवा 00—04—09 धुर जमीन से उत्तरवादी को उच्छेद करने के लिए निम्न न्यायालय में आवेदन दाखिल किया था। उक्त जमीन अपीलकर्त्ता की पैतृक जमीन है जो गत सर्वे सेटलमेंट में पर्चा में बंगाल रक्षित के नाम से दर्ज है। बंगाल रक्षित अपीलकर्त्ता के दादा है। अपीलकर्त्ता का उक्त जमीन के कुछ अंश पर झोपड़ी बना हुआ है एवं शेष जमीन सहन के रूप में उपयोग करते आ रहे थे। उक्त जमीन पर बना झोपड़ी जो खाली था, उन्होंने कुछ दिन रहने उत्तरवादी को दिया था। लेकिन उत्तरवादी ने उक्त जमीन को जबरन कब्जा कर लिया है। निम्न न्यायालय ने उत्तरवादी से कारण पृच्छा की गई। लेकिन उत्तरवादी ने न तो कारण पृच्छा दाखिल किया और न ही कोई कागजात निम्न न्यायालय में दाखिल किया फिर भी निम्न न्यायालय ने स्वत्व का मामला दिखाते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज कर दिया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को खारिज करते हुए स्वीकृत किया है।

अपीलकर्त्ता ने अपील आवेदन के साथ लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत्त अपील के काल अवधि को क्षान्त करने के लिए आवेदन

दाखिल किया है। अपील आवेदन के वर्णित तथ्यों के आलोक में उत्तरवादी को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिश दिया गया है।

उत्तरवादी ने अपना पक्ष रखा है कि जिसके अनुसार मौजा जमनी पहाड़पुर नं0 496, जमाबंदी नं0 163 माखन रक्षित वो सिरमत रक्षित वो बंगाल रक्षित के नाम से गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दर्ज है। जमाबंदी रैयत माखन रक्षित के वंशज में कोई जीवित नहीं है। उनके हिस्से की जमीन उनके भाई सिरमत रक्षित के दखल में आया उत्तरवादी अनन्त रक्षित के वंशज है। जमाबंदी रैयत बंगाल रक्षित अपने मात्र एक पुत्र द्वारिका रक्षित को छोड़ कर फौत कर गये। द्वारिका रक्षित भी अपने पीछे अपनी पत्नी भानुमति को छोड़ कर फौत कर गये। भानुमति ने अपने जीवन काल में अपने भतीजा अनन्त रक्षित के साथ रहती थी एवं जिसका देख भाल अनन्त रक्षित करते थे। उत्तरवादी भी उसी जमाबंदी का वंशज है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने निम्न न्यायालय का पारित आदेश को खारिज करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, गोड्डा के पत्रांक 1470/रा0 दिनांक 31.08.2019 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदित किया है कि मौजा जमनी पहाड़पुर थाना नं0 496 विवादित जमाबंदी नं0 163 खतियानी रैयत माखन रक्षित वल्द फकीर रक्षित वो सिरमत रक्षित वल्द बेनी रक्षित वो बंगाल रक्षित वल्द जगरनाथ रक्षित कौम मैरा सा0 देह के नाम से खतियान में दर्ज है। उत्तरवादी अनन्त रक्षित पिता–स्व0 सिरमत रक्षित उक्त जमाबंदी के दाग नं0 1382 के अंदर रकवा 00–00–10 धूर जमीन पर मकान बनाकर सपरिवार पूर्व से निवास कर रहे हैं। जिसका जिक्र पंचनामा कागजात 1975 में दर्ज है। आवेदक सनातन रक्षित ग्राम–सरौनी के रहने वाला है। वर्तमान में दुमका में निवास कर रहे हैं। जमनी पहाड़पुर में नहीं रहते है। दोनों पक्ष एक ही जमाबंदी के वारिशान है। पक्ष एवं विपक्ष आपस में संबंध चाचा भतीजा का है।

अपरोक्त वर्णित तथ्यों, जाँच प्रतिवेदन एवं निम्न न्यायालय के अवलोकन से प्रतीत होता है कि मौजा जमनी पहाड़पुर थाना नं0 496 जमाबंदी नं0 163 माखन रक्षित वल्द फकीर रक्षित वो सिरमत रक्षित वल्द बेनी रक्षित वो बंगाल रक्षित वल्द जगरनाथ रक्षित कौम मैरा सा0 देह के नाम से गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दर्ज है। उक्त जमाबंदी के अंतर्गत दाग नं0

1382 की जमीन से उत्तरवादी अनन्त रक्षित को उच्छेद करने के लिए अपीलकर्त्ता के द्वारा निम्न न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया था। वर्तमान अपीलवाद में प्राप्त अंचल अधिकारी, गोड्डा के जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता एवं उत्तरवादी एक ही जमाबंदी संख्या 163 के वंशज हैं। अपीलकर्त्ता एवं उत्तरवादी का आपस में संबंध चाचा भतीजा का है। इस प्रकार यह संथाल परगना काश्तकारी (पुरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 का उल्लंघन का मामला प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिती में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः अपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के आर0ई0आर0 केश नं0–21/2009–10 आदेश दिनांक–27.12.2011 को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

24/11/21

उपायुक्त,
गोड्डा।

24/11/21

उपायुक्त,
गोड्डा।

207
26/11/21

Seen
24-11-21.

Seen
24/11/21.

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.18 17:56:22 +05:30
Location: 192.168.29.8